नगरपालिका निर्वाचन

गणन अभिकर्ताओं

के लिए

मार्गदर्शिका

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
रायपुर
अप्रेल 2004

प्रस्तावना

निर्वाचन प्रक्रिया में सही मतदान का जो महत्व है उतना ही महत्व डाले गये मतों की सही गणना का भी है। गणना में यदि कोई त्रुटि हुई तो उससे पूरे निर्वाचन का परिणाम विकृत हो सकता है. इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि गणना का कार्य सावधानी से किया जाए और इस कार्य में यथासाध्य पारदर्शिता बनाई रखी जाए।

मतगणना के समय अपने हितों की ठीक से देखभाल करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके निर्वाचन क्षेत्र (अर्थात् वार्ड) में डाले गए मतों की गणना हेतु लगाई जाने वाली मेजों की संख्या के अनुसार गणन अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति दी जाती है । अभ्यर्थी के प्रतिनिधि के रूप में गणन अभिकर्ता का यह दायित्व है कि वह पूरी सावधानी और सजगता से मतों की गणना का कार्य देखे। गणन अभिकर्ता द्वारा इस दायित्व के समुचित निर्वहन के लिए यह आवश्यक है कि उसे मतगणना की प्रक्रिया तथा उसके संदर्भ में अपने कर्तव्यों की पूरी जानकारी हो। उसे ऐसी जानकारी सुलभ कराने के उद्देश्य से ही यह पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है ।

यहां उल्लेखनीय है कि निर्वाचन संबंधी ऐसे निर्देशों को जो मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2000 के पहले जारी लिये गए थे। उन सभी निर्देशों/अनुदेशों को छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,

क्रमशः .....

मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 4128/2458/म.प्र. /2001 मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) दिनांक 4 दिसंबर, 2001 द्वारा प्रवृत्त किया गया है।

आशा है कि अभ्यर्थी और उनके गणन अभिकर्ता इसे उपयोगी पाएंगे.

रायपुर,
दिनांक 30 अप्रैल, 2004

(डॉ0 सुशील त्रिवेदी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
छत्तीसगढ़

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
अनुच्छेद		
1.	मतगणना की तारीख, समय और स्थान –	1
2	गणन अभिकर्ताओं के लिए अर्हताएं –	1
3.	गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति –	2
4.	गणना भवन में प्रवेश –	3
5.	मतगणना हाल में व्यवस्था –	5
6.	गणना के पूर्व मतपेटियों का वितरण और निरीक्षण	6
7.	मतपेटियों को खाली किया जाना –	7
8.	मतपत्रों की संवीक्षा (जांच) और गणना –	8
9.	मतगणना कार्य की निरन्तरता –	13
10.	संदिग्ध मतपत्रों की संवीक्षा (जांच) तथा गणना परिणाम – पत्रक तैयार किया जाना –	14
11.	निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना	15
12.	गणना का अंतिम परिणाम– पत्रक तैयार करना	20
13.	पुनर्गणना	20
14.	निर्वाचन की घोषणा	21
15.	गणना के पश्चात् मतपत्रों को सील किया जाना	22
	परिशिष्ट गणन अभिकर्ता की नियुक्ति –	23
16.	गणन अभिकर्ता की घोषणा –	24

गणन अभिकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका

1. मतगणना की तारीख, समय और स्थानः

मतगणना के लिए नियत तारीख, स्थान और समय का उल्लेख निर्वाचन नियम, 21 के अन्तर्गत जारी की गई सूचना में किया जाता है । यदि इसमें कोई परिवर्तन हुआ तो रिटर्निंग आफिसर द्वारा उसके संबंध में प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को, समय पर लिखित में सूचना भेजकर अवगत कराया जाएगा ।

नगरपालिका के विभिन्न वार्डों की मतगणना एक ही दिन और यथासंभव एक ही स्थान पर की जाएगी और गणना कार्य उसी दिन पूरा करने का प्रयत्न किया जाएगा । मतगणना कार्य ठीक से सम्पन्न करने का दायित्व रिटर्निंग आफिसर का हैं। उसकी सहायता के लिए एक या अधिक सहायक रिटर्निंग आफिसर तथा आवश्यक संख्या में गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक नियुक्त किये जाएंगे । गणना केन्द्र के अन्दर और बाहर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था भी की जाएगी ।

2. गणन अभिकर्ताओं के लिए अर्हताएं:

गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए कोई विशेष अर्हता निर्धारित नहीं है. परन्तु यह वांछनीय है कि अभ्यर्थी ऐसे व्यक्तियों को गण्ना अभिकर्ता

नियुक्त करे जो योग्य सौम्य, अनुभवी और सूझबूझ वाले हों ताकि उनके हितों की उचित देखभाल हो सकें।

कोई शासकीय सेवक किसी अभ्यर्थी के गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता. उसके लिए ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है.

3. गणन अभिकर्ताओं की नियुक्तिः

(1) एक वार्ड में डाले गये मतपत्रों की गणना एक ही मेज पर की जाएगी यदि वार्ड में एक से अधिक मतदान केन्द्र भी हों तब भी उनमें डाले गये मतों की गणना बारी–बारी से उसी मेज पर की जाएगी। (इसका अपवाद केवल प्रति वार्ड 5 से अधिक मतदान केन्द्र वाले नगर निगम हो सकते हैं, जहां कि आयोग प्रत्येक वार्ड के लिए 2 गणना मेजें और इसलिए दो अभिकर्ता लगाने की अनुमति दे सकता है)। रिटर्निंग आफिसर की मेज पर, जहां कि निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की संवीक्षा (जांच) और गणना की जाएगी, गण्ना कार्य देखने के लिए सामान्यतया अभ्यर्थी स्वयं या उसका निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित रहेगा। गणना अभिकर्ता का दायित्व उसी मेज पर गणन कार्य की देखरेख करने तक सीमित है, जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है।

(2) गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति स्वयं अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 35 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म (प्ररूप 13) में की जाएगी । यह फार्म संलग्न परिशिष्ट में उद्धृत है । नियुक्ति के संबंध में अपनी सहमति के तौर पर गणन अभिकर्ता द्वारा इस फार्म में अपने हस्ताक्षर किए जाएंगे । नियुक्ति पत्र दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा । अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति पत्र की एक प्रति रिटर्निंग आफिसर को, मतदान की तारीख के कम से कम दो दिन पूर्व भेज दी जाए ताकि नियुक्त गणन अभिकर्ता के लिए बैज (बिल्ला) या पास बनाने की व्यवस्था की जा सके । नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति गणन अभिकर्ता को दी जाए, जिसे लेकर वह मतगणना के लिए निर्धारित स्थान पर उपस्थित होगा ।

गणना अभिकर्ता को मतगणना प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय से कम से कम एक घण्टा पहले गणना स्थल पर पहुंच जाना चाहिए ।

4. गणना में प्रवेश:

गणन अभिकर्ता को गणना भवन में प्रवेश तभी दिया जाएगा जबकि वह रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा तैनात सहायक रिटर्निंग आफिसर को अपना नियुक्ति-पत्र दिखाए। नियुक्ति-पत्र प्रस्तुत करने पर गणना अभिकर्ता से अपेक्षा की जाएगी कि वह मतदान की गोपनीयता

बनाये रखने के लिए नियुक्ति-पत्र में इस आशय की घोषणा वाली जगह पर अपने हस्ताक्षर करे । बगैर ऐसा किए उसे गणना भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । हाल में प्रवेश के पूर्व रिटर्निंग आफिसर के सामान्य या विशिष्ट निर्देशों के अन्तर्गत गणन अभिकर्ता सहित, किसी भी व्यक्ति की तालाशी ली जा सकेगी ।

गणन अभिकर्ता द्वारा अपना नियुक्ति-पत्र रिटर्निंग आफिसर की प्रस्तुत किए जाने तथा उसमें अंतर्विष्ट घोषणा पर हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् उसे एक बिल्ला (बैज) या पास दिया जाएगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि किस अभ्यर्थी का अभिकर्ता है तथा उस मेज की क्रम संख्या क्या है जिस पर वह गणना देखेगा । गणन अभिकर्ता को आवंटित मेज से हटकर हाल में इधर-उधर घूमने-फिरने की अनुमति नहीं होगी । गणन अभिकर्ताओं को चाहिये कि वे हाल में बिल्कुल शान्त रहें, अपनी ही सीट पर बैठे रहें और अनुशासन तथा व्यवस्था बनाए रखें । रिटर्निंग आफिसर के किसी भी निर्देश की अवहेलना करने पर गणन अभिकर्ता को मतणना हाल से बाहर भेजा जा सकता है।

गणन अभिकर्ता यह ध्यान रखे कि मतगणना हाल में धूम्रपान पूरी तरह वर्जित है । यदि किसी गणन अभिकर्ता की धूम्रपान की इच्छा हो तो उसे, रिटर्निंग आफिसर से अनुमति लेकर, बाहर चले जाना चाहिए।

5. मतगणना हाल में व्यवस्था.

गणना हाल में मतगणना के लिए उतनी मेजें होंगी जितनी कि सम्बन्धित नगरपालिका में वार्डों की संख्या है (बड़े नगरीय निकाय इसके अपवाद हो सकते है) । इसके अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफिसर तथा रिटर्निंग आफिसर की मेजें होंगी । मेजें 5 से 10 की पंक्ति में लगाई जाएंगी और एक या उससे अधिक पंक्तियों का प्रभार एक सहायक रिटर्निंग आफिसर को सौंपा जाएगा। सहायक रिटर्निंग आफिसर उसके प्रभार की पंक्ति या पंक्तियों की मेजों पर की गई मतगणना में पाए गए संदिग्ध मतपत्रों (अर्थात् ऐसे मतपत्रों, जिनके बारे में गणना पर्यवेक्षक को यह संदेह हो कि वे किस अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये हैं और वे विधिमान्य हैं या खारिज करने योग्य) की संवीक्षा (जांच) स्वयं करेगा। सम्पूर्ण व्यवस्था पर नजर रखने के लिए रिटर्निंग आफिसर की मेज अलग से कुछ ऊँचाई पर रहेगी। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वयं की जाएगी।

प्रत्येक गणना मेज पर उसका क्रमांक प्रदर्शित होगा और उस पर एक गणना पर्यवेक्षक तथा 2 गणना सहायक तैनात होंगे । मेज के एक सिरे पर गणना पर्यवेक्षक तथा उसके एक ओर (लम्बे किनारे की ओर) गणना सहायक बैठेंगे । गणन अभिकर्ता, गणन सहायकों

के सामने बैठेंगे जिससे वे मतपत्रों की छटाई, संविक्षा और गणनाकार्य देख सकें ।

6. गणना के पूर्व मतपेटियों का वितरण और निरीक्षण:

मतपेटियों को गणना मेजों पर इस पकार वितरित किया जावेगा कि वार्ड क्रमांक 1 की मतपेटी / मतपेटियां, मेज क्रमांक 1 पर रखी जाएं और उसी क्रम के अनुसार वार्ड और गणना मेज का क्रमांक एक ही रहे । दूसरे शब्दों में, एक गणना मेज पर किसी एक विशेष वार्ड के समस्त मतदान केन्द्रों पर डाले गये मतों की गणना की जाएगी । किसी एक वार्ड के अंतर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाई गई सभी मतपेटियां स्ट्रांग रूप से निकालकर मतगणना हॉल में लाई जाएंगी और गणना के लिए एक ही मेज पर दी जाएंगी, किन्तु एक बार में केवल एक ही मतपेटी खोली जाएगी । जैसे ही किसी एक मतदान केन्द्र की मतपेटी/मतपेटियां गणना मेज पर प्राप्त हों, गणन अभिकर्ताओं को उसे / उन्हें देखने का अवसर दिया जावेगा । गणन अभिकर्ताओं को इस बात का समाधान कर लेना चाहिए कि किसी मतपेटी पर लगी सील के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई । यह ध्यान में रखने योग्य है कि मतपेटी की बाहरी सील महत्वपूर्ण नहीं है। यदि बाहरी सील क्षतिग्रस्त भी हो परन्तु भीतर

की सील ठीक हो तो यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि मतपेटी की अर्न्तवस्तु के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। अतएव गणन अभिकताओं को बाहरी सील के संबंध में कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। यदि वे ऐसा करें भी तो उनकी आपत्ति अस्वीकृत कर दी जाएगी। अन्दर की सील की बात अलबत्ता और है। मतपेटी किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त होने पर रिटर्निंग आफिसर के द्वारा स्वयं उसकी जांच की जावेगी तथा उस समय तक उस मतदान केन्द्र की मतगणना का कार्य रूका रहेगा। शेष मतदान केन्द्रों की मतगणना जारी रहेगी । यदि रिटर्निंग आफिसर जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मतपेटी को पहुंचाई गई क्षति इस प्रकार की है कि जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है, तो वह उस मतदान केन्द्र की मतगणना रोक देगा और इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा । आगे की कार्यवाही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जाएगी।

7. मतपेटियों को खाली किया जाना:

मतपेटी की सीलों और उसकी अनन्यता (अर्थात उसका किसी अन्य मतदान केन्द्र की मतपेटी न होने) के बारे में जांच हो जाने पर मतपेटी खोली जाएगी। पेटी के सभी मतपत्र गणन–मेज पर लिकाले जाएंगे। गणन अभिकर्ताओं को इस बारे में अपना समाधान कर लेने

दिया जाएगा कि मतपेटी में से सारे मतपत्र निकाल लिए गए हैं और उसके अन्दर और कोई मतपत्र नहीं बचा है। निकाले गए मतपत्रों को उल्टा करके रखा जाएगा अर्थात् मतपत्रों के उस भाग को जिसमें अभ्यर्थियों के नाम और चुनाव-चिन्ह मुद्रित हों, नीचे की ओर रखा जाएगा । तत्पश्चात् मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई दूसरी मतपेटी (यदि ऐसी कोई मतपेटी हो) को भी उपरोक्तानुसार ही खोलकर, उसके मतपत्र निकालकर रखे जाएंगे । मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी/ मतपेटियां खोलने के बाद, उसमें/ उनमें से निकले मतपत्रों की संख्या ज्ञात की जाएगी। इस संख्या की प्रविष्टि गणना पर्यवेक्षक द्वारा मतपत्र लेखा (प्ररूप-18) के भाग-2 में की जाएगी । साथ ही वह प्ररूप के भाग-1 और भाग-2 में दर्शित संख्या के अन्तर की प्रविष्टि भी मतपत्र लेखा के भाग-2 में यथा स्थान करेगा ।

8. मतपत्रों की संवीक्षा (जांच) और गणना :

(1) कंडिका 7 में वर्णित कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर मतपत्रों को पुनः सीधा रखते हुए गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायकों द्वारा पहले महापौर/अध्यक्ष और फिर पार्षद के मतपत्रों की संवीक्षा (जांच) तथा अभ्यर्थीवार छंटनी की जायेगी । प्रत्येक मेज पर एक ''गणना ट्रे'' रहेगी जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या से एक

अधिक खाना (संदिग्ध मतपत्रों के लिए) होगा। किसी अभ्यर्थी के पक्ष में में डाले गए सभी विधिमान्य मतपत्र उस अभ्यर्थी के लिए निर्धारित खाने में रखे जाएंगे। ऐसा प्रत्येक मतपत्र जिसकी विधिमान्यता संदेहास्पद हो अर्थात् जिसके बारे में गणना पर्यवेक्षक के लिए यह निर्णय लेना संभव न हो कि वह मतपत्र किस अभ्यर्थी के पक्ष में गिना जाए, संदिग्ध मतपत्रों के खाने में रखा जायेगा। यदि अभ्यर्थियों के गण्ना अभिकर्ताओं के बीच किसी मतपत्र की विधिमान्यता के बारे में या इस बारे में कि वह किसी अभ्यर्थी को दिया है, विवाद हो तो ऐसे मतपत्र को भी गणना पर्यवेक्षक द्वारा संदिग्ध मतपत्र वाले खाने में रख दिया जाएगा। इस स्टेज पर किसी मतपत्र को संदिग्ध श्रेणी में रखने का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि उसे खारिज कर दिया गया है, क्योंकि मतपत्र खारिज करने का अधिकार केवल सहायक रिटर्निंग आफिसर तथा रिटर्निंग आफिसर को है, गण्ना पर्यवेक्षक को नहीं।

(2) संदिग्ध मतपत्रों की जांच सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा या रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपनी मेज पर की जाएगी। वह खारिज किए जाने वाले ऐसे किसी भी मतपत्र को, जिसे कोई उपस्थित अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या दोनों की अनुपस्थिति में गणन अभिकर्ता ठीक से देखना चाहे, उसे देखने की अनुमति

दी जाएगी। परन्तु किसी मतपत्र को हाथ में लेकर देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) किसी मतपत्र को निम्नलिखित में से किसी भी कारण से प्रतिक्षेपित (खारिज) कर दिया जाएगा, यदि:-

(क) उस पर कोई चिन्ह या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है, या

(ख) वह बनावटी मतपत्र है, या

(ग) वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती या

(घ) वह विशिष्ट मतदान केन्द्र में उपयोग में लाये जाने के लिए प्राधिकृत मतपत्रों के अनुक्रमांकों से भिन्न क्रमांक का या परिकल्प (डिजाइन) से भिन्न परिकल्प का है, या

(ड.) उस पर सुभेदक मोहर नहीं लगी है, और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, या

(च) उस पर मतांकन का चिन्ह (अर्थात् घूमने वाले तीरों का चिन्ह) नहीं है, या

(छ) उसमें एक से अधिक अभ्यर्थी के खाने पर चिन्ह लगाया गया है, या

(ज) उस पर उस प्रयोजन के लिए विहत उपकरण या युक्ति (अर्थात् दी गई घूमने वाले तीरों की सील) से भिन्न उपकरण या युक्ति से चिन्ह लगाया गया है, या

(झ) मतांकन का चिन्ह पृष्ठ भाग पर या पूरी तरह छायाकृत स्थान के अंदर बना है.

किन्तु यह समाधान हो जाने पर कि खण्ड (घ) या खण्ड (ड.) में वर्णित कोई त्रुटि पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी की ओर से की गई किसी भूल या असफलता के कारण हुई तो रिटर्निंग आफिसर यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी त्रुटि पर ध्यान न देते हुए इस आधार पर मतपत्र प्रतिक्षेपित (खारिज) नहीं किये जावे।

(4) मतपत्र को केवल इस कारण से प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा कि:–

(क) किसी एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक से अधिक चिन्ह लगाए गये हैं, या

(ख) एक अभ्यर्थी के खाने में स्पष्ट चिन्ह के अतिरिक्त उसके पृष्ठ भाग या गहरे रंग

वाले (छायाकृत) स्थान में भी चिन्ह लगा है, या

(ग) वह चिन्ह किसी एक अभ्यर्थी के खाने में आंशिक रूप से लगा है, तथा चिन्ह का शेष भाग खाली स्थान में लगा है, या

(घ) मूल चिन्ह किसी एक अभ्यर्थी के खाने में स्पष्ट रूप से बना है, किन्तु मतपत्र को गलत ढंग से मोड़ने के कारण उसकी छाप अन्य अभ्यर्थी के खाने में बन गई है। मूल चिन्ह और उसकी छाप में अंतर करना आसान है। मूल चिन्ह में तीरों की दिशा घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा के विपरीत रहती है। छाप में तीरों की दिशा इससे उल्टी अर्थात् घड़ी की सुइयों के घूमने के दिशा में हो जाएगी। इस आधार पर छाप तथा मूल चिन्ह में सरलता पूर्वक भेद किया जा सकता है।

(ड.) चिन्ह किसी एक अभ्यर्थी के खाने में लगा है, परन्तु किसी दूसरे अभ्यर्थी के सामने वाले खाने में भी धब्बा बन गया है, या

(च) मतपत्र के पीछे कोई सुभेदक सील और हस्ताक्षर नहीं है परन्तु रिटर्निंग अधिकारी को यह समाधान हो जाए कि यह चूक पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी द्वारा की गई किसी भूल या असावधानी के कारण हुई है, या

(छः) मतदाता द्वारा मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण उसके अंगूठे के निशान का धब्बा बन गया है।

(5) मतपत्र को खारिज करने के लिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतपत्र के पृष्ठभाग पर आयोग द्वारा निर्धारित रबर की सील लगाई जाएगी। इस सील में खारिज करने के कारण का संक्षिप्त रूप में उल्लेख रहेगा। जिस कारण से संबंधित मतपत्र खारिज किया गया है उस कारण पर सही का निशान (✓) लगाकर रिटर्निंग आफिसर द्वारा उसके नीचे अपने हस्ताक्षर किये जायेंगे।

9. मतगणना कार्य की निरन्तरता :

मतों की गणना का कार्य एक बार शुरू होने पर तब तक लगातार जारी रहेगा जब तक कि कार्य समाप्त न हो जाए। बगैर किसी अप्रत्याशित घटना या अपरिहार्य

परिस्थिति (जैसे कि आग या हिंसा) के, गण्ना कार्य बीच में नहीं रोका जाएगा। यदि किसी अपरिहार्य कारण (जैसे कि आग या हिंसा आदि) से मतगणना बीच में रोकनी पड़े तो सभी मतपत्रों और अन्य कागजों को एक पैकेट में रखकर सीलबन्द कर दिया जाएगा। ऐसे प्रत्येक पैकेट पर रिटर्निंग आफिसर के साथ-साथ यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता अपनी सील लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।

10. संदिग्ध मतपत्रों की संवीक्षा (जांच) तथा गण्ना परिणाम पत्रक तैयार किया जाना:

प्रत्येक मेज के गण्ना पर्यवेक्षक द्वारा किसी मतदान केन्द्र पर डाले गए मतों की गिनती पूरी हो जाने पर ''गणना का परिणाम'' निर्धारित फार्म (प्ररूप-21) में भरा जाएगा और विभिन्न अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गए मतों के अलग-अलग बण्डल (मतपत्रों को 50-50 की गड्डियों में रखकर तथा धागे से लपेटकर) बनाए जाएंगे। (आखरी गड्डी सामान्यतया 50 से कम मतपत्रों की होगी)। संदिग्ध मतपत्रों का एक बण्डल पृथक से बनाया जाएगा। इन सब बण्डलों को प्ररूप-21 के साथ, एक सुतली से लपेटकर, सहायक रिटर्निंग आफिसर के पास भेजा जाएगा। सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रस्तुत बण्डलों में संदिग्ध मतपत्र वाले बण्डल में रखे गए मतपत्रों की एक-एक करके संवीक्षा (जांच) की जाएगी।

यदि उसके द्वारा कोई मतपत्र किसी अभ्यर्थी के पक्ष में डाला गया माना जाए तो उसे संबंधित अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए वैध मतपत्रों के बण्डल में सम्मिलित किया जाएगा। खारिज मतपत्रों को एक बण्डल में रखा जाएगा जिसे खारिज मतपत्रों का बण्डल कहा जाएगा। मतपत्रों के इस प्रकार आवश्यक अन्तरण करने की कार्यवाही के साथ-साथ सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्ररूप-21 में अंकित मतों की प्रविष्टियों को संशोधित किया जाएगा। ऐसा करते समय पर्यवेक्षक द्वारा लिखे गए आंकड़ों को नहीं काटा जाएगा वरन् उन आंकड़ों के आगे संख्या बढ़ाने के या घटाने के लिए धन (+) या ऋण (-) का चिन्ह लगाकर आवश्यक प्रविष्टियां की जाएंगी और उन पर सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जाएंगे। इसके पश्चात् प्ररूप-21 के अंत में सहायक रिटर्निंग आफिसर अपने हस्ताक्षर भी करेगा। प्ररूप-21 में गणना का परिणाम-पत्र तैयार हो जाने पर उसे रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत किया जाएगा। वार्ड के सभी मतदान केन्द्रों पर डाले गये मतपत्रों की गणना उपरोक्तानुसार बारी-बारी से की जाएगी और गणना का परिणाम-पत्र, मतदान केन्द्रवार प्ररूप-21 में तैयार किया जाएगा।

11. निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना :

(1) निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वयं की जाएगी। इस गणना के दौरान

अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गण्न अभिकर्ता में से किसी एक के रिटर्निंग आफिसर की मेज के पास बैठने की व्यवस्था की जाएगी। मतगणना प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय तक प्राप्त मतपत्रों के लिफाफे गणना में सम्मिलित किये जाएंगे परन्तु उसके बाद प्राप्त लिफाफों को नहीं खोला जाएगा। समय पर प्राप्त लिफाफों को रिटर्निंग आफिसर एक-एक करके खोलेगा। समय पर प्राप्त लिफाफों को रिटर्निंग आफिसर एक-एक करके खोलेगा। बाहर का लिफाफा (प्ररूप-19-ख) को खोलने पर उसके अन्दर, मतपत्र वाला छोटा लिफाफा (प्ररूप-19-क) और मतदाता द्वारा की गई घोषणा का फार्म (प्ररूप-19-ग) निकलेंगे। रिटर्निंग आफिसर द्वारा निम्नांकित दशा में, भीतर के लिफाफे (प्ररूप-19-क) को खोले बगैर, निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र खारिज कर दिया जाएगा :-

(1) यदि मतदाता द्वारा की गई घोषणा (प्ररूप-19-ग) बाहरी लिफाफे(प्ररूप-19-ख) के अन्दर न पाई जाए।

(2) यदि मतदाता की घोषणा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित न हो या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित न हो या उसमें अन्य कोई सारभूत त्रुटि हो।

(3) यदि घोषणा-पत्र में उल्लिखित मतपत्र का क्रमांक उस क्रमांक से भिन्न हो जो कि

भीतरी लिफाफे (प्ररूप 19–क) के ऊपर अंकित है।

खारिज किये गये ऐसे सभी मतपत्र, छोटे लिफाफे और घोषणा के फार्म के साथ (यदि हो) फिर से बाहर वाले बड़े लिफाफे (प्ररूप 19–ख) में समुचित पृष्ठांकन के साथ रख दिये जाएंगे। इस प्रकार के सभी बड़े लिफाफों का एक अलग पैकेट बनाकर उसे सील कर दिया जाएगा।

शेष बचे लिफाफों को अर्थात् जिनमें उपर्युक्त प्रकार की खामियां न पाई जाए, एक–एक करके गणना के लिए लिया जाएगा। सर्वप्रथम ऐसे समस्त लिफाफों के घोषणा–पत्र (प्ररूप 19–ग) एकत्र करके उन्हें एक अलग पैकेट में रखकर सील कर दिया जाएगा। उसके बाद मतपत्र वाले भीतरी लिफाफे (प्ररूप 19–क) एक–एक करके खाले जाएंगे और उनमें रखे हुए निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों को निकालकर एकत्र किया जाएगा। तत्पश्चात् प्रत्येक मतपत्र की रिटर्निंग आफिसर द्वारा संवीक्षा (जांच) की जाएगी और यह विनिश्चित किया जाएगा कि वह विधिमान्य है या नहीं।

(2) निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र निम्नांकित दशा में प्रतिक्षेपित (खारिज) कर दिया जाएगा, अर्थात् :–

(1) यदि उस पर कोई ऐसा चिन्ह या लेख है जो मत को अभिलिखत करने से भिन्न है और जिससे कि मतदाता की पहचान हो सके, या

(2) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं है, या

(3) यदि उस पर मत एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में दिये गये हैं, या

(4) यदि वह बनावटी मतपत्र है, या

(5) यदि वह इस प्रकार क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापिपत नहीं की जा सकती है, या

(6) यदि उसे उसी लिफाफे में जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदाता को उसके साथ ही भेजा गया था, रखकर नहीं लौटाया गया है, या

(7) यदि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति से लगा है जिससे कि यह बात संदेहपूर्ण हो कि किस अभ्यर्थी को दिया गया है।

मतदाता द्वारा अपना मत उपदर्शित करने वाले किसी भी प्रकार के चिन्ह का उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कि उससे मतदाता की पहचान न हो सके। जब तक मतपत्र पर चिन्ह इस प्रकार और ऐसे स्थान पर लगाया गया है कि उससे मतदाता का किसी विशिष्ट अभ्यर्थी को मत देने का इरादा स्पष्ट हो जाता है, मतपत्र को खारिज नहीं किया जाएगा। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र को इस आधार पर भी खारिज नहीं किया जाएगा कि मत उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या किसी अभ्यर्थी के लिए एक से अधिक बार लगाया गया है।

(3) उपरोक्तानुसार मतपत्रों की संवीक्षा के पश्चात् उन्हें अभ्यर्थीवार, अलग-अलग खानों में रखा जाएगा। खारिज किए गए मतपत्रों को एक अलग खाने में रखा जाएगा। विधिमान्य मतों की अभ्यर्थीवार गणना की जाएगी और गणना परिणाम निर्धारित फार्म (प्ररूप-20) में अंकित किया जाएगा। अभ्यर्थी तथा निर्वाचन/गणन अभिकर्ताओं की जानकारी के लिए मतगणना पूरी हो जाने पर, प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले निर्वाचन कर्तव्य मतों का आख्यापन (ऐलान) भी किया जाएगा।

सभी विधिमान्य निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों और खारिज किये गये मतपत्रों के अलग-अलग बण्डल बनाये जाएंगे और उन्हें एक पैकेट में एक साथ रखकर उसे

सील कर दिया जाएगा। पैकेट पर रिटर्निंग आफिसर के द्वारा अपनी सील लगाई जाएगी तथा ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/गणन अभिकर्ताओं को भी अपनी सील लगाने का अवसर दिया जाएगा, जो ऐसा करना चाहें।

12. गणना का अंतिम परिणाम–पत्रक तैयार करना:

किसी वार्ड में सम्मिलित सभी मतदान केन्द्रों की मतगणना पूरी हो जाने पर, उनका सारणीकरण करके गणना का ''अंतिम परिणाम–पत्र'' (प्ररूप–22) तैयार किया जाएगा। इस प्ररूप में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों तथा उसके पक्ष में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या का उल्लेख रहेगा। गणना का अंतिम परिणाम तैयार हो जाने पर प्रत्येक अभ्यर्थी का प्राप्त कुल विधिमान्य मतों का रिटर्निंग आफिसर द्वारा आख्यापन (ऐलान) किया जाएगा।

13. पुर्नगणना :

उपर्युक्त आख्यापन (ऐलान) के तुरन्त बाद कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतपत्रों की पुनर्गणना के लिए लिखित में आवेदन कर सकता है। आवेदन–पत्र में उन आधारों का उल्लेख आवश्यक है जिन पर पुनर्गणना की मांग की जा रही है। आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के लिए रिटर्निंग आफिसर

द्वारा अपने विवेक से, आवश्यक समय दिया जाएगा। इस बीच आवेदन-पत्र प्रस्तुत होने पर रिटर्निंग आफिसर उसमें पुर्नगणना के लिए उल्लिखित आधारों पर विचार करेगा। यदि आधार तुच्छ या अयुक्तियुक्त प्रतीत हुआ तो वह आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर देगा और यदि वह यह पाये कि आवेदन -पत्र में दिये गये आधार समाधानकारक है तो वह उसे पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मतपत्रों की दोबारा गणना का निर्देश देगा। ऐसी पुर्नगणना पूरी हो जाने पर गणना का परिणाम पत्र (प्ररूप-21) यथावश्यक संशोधित किया जाएगा और उसमें रिटर्निंग आफिसर अपने हस्ताक्षर करेगा। उसके बाद गणना का अंतिम परिणाम पत्रक (प्ररूप-22) में यथावश्यक संशोधन करते हुए रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल मतों की संख्या का आख्यापन (ऐलान) करेगा। ऐसा आख्यापन किये जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर परिणाम-पत्र को पूरा कर उस पर हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद किसी अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता को पुनर्गणना की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा और यदि ऐसी मांग की भी जाती है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

14. निर्वाचन की घोषणा :

गणना के अंतिम परिणाम-पत्र (प्ररूप-22) के आधार पर निर्वाचन की घोषणा-सह-विवरणी (प्ररूप-23) तैयार की जाएगी और जिस अभ्यर्थी को सर्वाधिक

विधिमान्य मत प्राप्त हुए हों उसे रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचित घोषित किया जाएगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों को बराबर मत प्राप्त हों तो रिटर्निंग आफिसर जिस अभ्यर्थी के पक्ष में पर्ची निकले उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ मानकर निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

15. गणना के पश्चात् मतपत्रों को सील किया जाना:

निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त विधिमान्य मतपत्रों के अलग बण्डल बनाये जाएंगे तथा प्रतिक्षेपित (खारिज) मतपत्रों का एक अलग से बण्डल बनाया जाएगा। इन सारे बण्डलों को एक पैकेट में रखकर उसे रिटर्निंग आफिसर द्वारा सील कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या इन दोनों की अनुपस्थिति में उसका गणन अभिकर्ता भी पैकेट में अपनी सील लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। नगरपालिका के विभिन्न वार्डों के लिए तैयार किये गये इस प्रकार के बण्डलों को बक्सों में बंद करके उन्हें कोषालय या उप-कोषालय के दृढ़-कक्ष में रख दिया जाएगा।

*****

प्ररूप–13

[नियम 35 (1) देखिए]

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत..... के वार्ड क्रमांक.....से पार्षद का निर्वाचन

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

.....

मैं,.....जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, *ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता हूं, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कु..... पता.....को (गणना के लिए नियत स्थान).....पर होने वाली मतों की गणना में उपस्थित रहने हेतु अपने गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूं।

स्थान..... .....

तारीख..... *अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

मैं, ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं।

स्थान..... .....

तारीख..... गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

---

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए।

गणन अभिकर्ता की घोषणा

(रिटर्निंग आफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाए)

मैं, एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में साधारणत: निर्वाचन और विशिष्टत: मत दिये जाने की गोपनीयता से संबंधित विधि तथा नियमों द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी ।

तारीख..... .....

गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए

तारीख..... .....

रिटर्निंग आफिसर(नगरपालिका) के हस्ताक्षर

नाम.....

सील.....